कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्तों पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं तथा कई स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त अतिरिक्त डाटा पर आधारित, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

अध्याय-1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2018 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा संवितरण की टाईम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण संपोषण क्षमता तथा राजकोषीय असन्तुलनों का लेखा प्रदान करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण देता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, खजानों की कार्यप्रणाली में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण करता है।

अध्याय-3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से संबंधित सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्तः

राज्य, राजकोषीय सुधार पथ पर है। तथापि, राज्य ने अभी तक रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में संशोधन नहीं किया है जैसाकि चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित किया गया है। यह राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है, यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व घाटे की मात्रा में गिरावट आई है। राजस्व घाटा पिछले वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 30 प्रतिशत से घटकर 2017-18 के दौरान 17 प्रतिशत रह गया।

राज्य का प्राथमिक घाटा 2016-17 में स.रा.घ.उ. के 2.89 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष में 1.18 प्रतिशत हो गया।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 3,068.82 करोड़ की प्राप्तियां 2011-17 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 83 प्रतिशत राजस्व व्यय था। 2017-18 के दौरान चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल व्यय ने राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत संघटित किया। इसके अतिरिक्त, कुल सब्सिडीज़ (₹ 8,446 करोड़) का 90 प्रतिशत (₹ 7,624 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया।

पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय ₹ 6,675 करोड़ (97 प्रतिशत) तक बढ़ गया। इसका मुख्य कारण उदय स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए बिजली क्षेत्र के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को इक्विटी में बदलना था। 2016-17 तक तीन डिस्कॉम्ज की संचित हानियां ₹ 30,310 करोड़ थी।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.04 से 0.17 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 8 से 9.83 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 5,755.08 करोड़ के निवेश किए। इसमें से ₹ 5,454.44 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश किए गए थे। राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान घाटा उठा रही पांच कंपनियों में ₹ 5,473.78 करोड़ के निवेश किए।

राजस्व घाटा 2016-17 में ₹ 15,906 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹ 10,562 करोड़ हो गया। अन्य राजकोषीय मानकों अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2016-17 में क्रमशः ₹ 26,285 करोड़ और ₹ 15,743 करोड़ रही, 2017-18 में क्रमशः ₹ 19,114 करोड़ (73 प्रतिशत) और ₹ 7,153 करोड़ (45 प्रतिशत) तक कम हो गई।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2018 को ₹ 1,64,076 करोड़ थी। राजकोषीय देयताएं स.रा.घ.उ. का 26.97 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.62 गुणा थी।

2017-18 की समाप्ति पर ₹ 4,417 करोड़ का नकद शेष ₹ 5,527 करोड़ की निर्धारित आरक्षित निधि से कम था जो इंगित करता है कि आरक्षित निधि का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।

राज्य सरकार ने एस.डी.आर.एफ. और खदानों एवं खनिजों के रेस्टॉरेशन और पुनर्वास के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 2,266 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया था। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक ₹ 2,407 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे।

सरकार के आंतरिक ऋण 2016-17 में ₹ 1,22,617 करोड़ से बढ़कर 2017-18 के दौरान ₹ 1,37,813 करोड़ (12.39 प्रतिशत) हो गए। 2017-18 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 10,578 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। 2017-18 के दौरान रिसोर्स गैप निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय, उधार ली गई निधियों से आंशिक रूप से वहन किया गया था।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रणः

2017-18 के दौरान, ₹ 1,24,990.40 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 1,02,962.69 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 22,027.71 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 22,568.31 करोड़ की बचत तथा दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 540.60 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी। जिसे वर्ष 2016-17 से संबंधित ₹ 256.98 करोड़ के अधिक व्यय के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता थी।

59 मामलों में वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 22,731.21 करोड़ सरेंडर किए गए थे

(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक का सरेंडर)। 15 मामलों में ₹ 9,158.16 करोड़ सरेंडर किए गए जोकि वास्तविक बचतों से ₹ 345.16 करोड़ अधिक थे। यह इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है। 23 मामलों में ₹ 8,637.78 करोड़ की बचतों में से ₹ 418.09 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गई। अनुचित विनियोजनों में दोनों प्रकार, अपर्याप्त पूरक प्रावधान तथा अनावश्यक एवं अत्यधिक विनियोजन के मामले भी पाए गए।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग को इंगित करते हुए मार्च 2018 के माह के दौरान 15 अनुदानों के अंतर्गत 21 मुख्य शीर्षों पर किए गए ₹ 11,205.77 करोड़ के व्यय में से, ₹ 3,682.69 करोड़ (33 प्रतिशत) का खर्च मार्च 2018 के महीने के दौरान किया गया था जो सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विरूद्ध था।

अध्याय-3

वित्तीय रिपोर्टिंगः

राज्य ने भारत सरकार के लेखांकन मानकों (आई.जी.ए.एस.)-3 का अनुपालन नहीं किया है: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों को अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी और व्यक्तिगत ऋणदाता की शेष राशि की पुष्टि नहीं की गई थी।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 7,800.80 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में 1,588 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2018 को बकाया थे। 85 स्वायत निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 216 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2018 को बकाया थे।

राज्य सरकार ने ₹ 1.34 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरूपयोग, जालसाजी इत्यादि के 71 मामले सूचित किए जिन पर जून 2018 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 43 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

2017-18 के दौरान कुल व्यय का 13.28 प्रतिशत वित्त लेखाओं में अलग से वर्णित करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।